अंचल अधिकारी ______ मनातू का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या— 62

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074 / रा0, दिनांक—13.05.2016 सहपठित—श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—खा0म0निति—119 / 85 / 2306 / रा0, दिनांक—03.09.1985 एवं सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—914 / रा0, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :—

मौजा— डंडी थाना— 402 खाता संख्या— 2 प्लॉट संख्या— 215/3 रकबा 2.00 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या— ______ के पृष्ठ संख्या— 57/II पर जमाबंदी रैयत ______ के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक— 7/09/18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
मनातू

E:\Sec 5 New-Awadh Jamabandi.docx

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– सुरेन्द्र-यादव, पे० लकेश यादव, सा०- डुमरी
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
डुमरी	402	2	215/3	2.00

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या............... पृष्ठ सं0– 57/II पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 2002-03
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैरमजरूआ मालिक
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– अं०अ०से
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– नहीं
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – बन्दोबस्ती केस न. 73/2002-03
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
–	–	–	–

3/10/016
क०
हल्का XI

[signature]
अ०उ०नि०
हल्का XI

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी पक्ष अनुपस्थित। अतः पुनः द्वितीय नोटिस निर्गत करें, जिसकी तिथि ______ को रखें। [illegible signature]	
10.03.2022	अभिलेख उपस्थापित। यह मामला वर्ष 2016 से लंबित है। अपीलीय उपायुक्त महोदय के [illegible] में निर्देश दिया गया है कि पुनः विस्तृत जाँच कर [illegible] को तदनुसार [illegible] को आदेश दिया जाता है कि अंचल निरीक्षक से संबंधित हल्का के संबंधित कर्मचारी से [illegible] विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें कि [illegible] मामला [illegible] जमाबंदी [illegible] नहीं। [illegible signature] 10.03.22 अपर समाहर्ता [illegible] 10.03.22	
21.03.22	अभिलेख उपस्थापित। [illegible] के आलोक में अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया है जो साथ में संलग्न है। इसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि [illegible] संबंधित जमाबंदी [illegible] का मामला [illegible] वाद सं. 13/2021-22 [illegible] [illegible] कार्यालय द्वारा जाँच प्रतिवेदन [illegible] यह मामला [illegible] न्यायालय में लंबित है [illegible] इस वाद के [illegible] वाद की [illegible]	

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.01.25 17:17:52 +05:30
Location: 192.168.61.97